रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 28 अगस्त, 2000/6 भाद्रपद, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 जुलाई, 2000

संख्या पी०बी०डब्लयू० (पी०एच) ए(3) 1-1/2000.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय अधिनियम, 1968(1969 का अधिनियम 8) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या आई०पी०एच०(3)-14/84 दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश दिनांक 14 फरवरी, 1990 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय (संशोधन) नियम, 2000 है ।

1551-राजपत्र/2000-28-8-2000—1,378. (2709) मूल्य : 1 रुपया।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय नियम, 1989 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 4 के उप-नियम (7) में,—

(क) शब्दों "प्राधिकृत अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो, सम्यक सूचना सहित" के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश राज्य के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता, उसकी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण.—इ । उप-नियम में प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "दुरुपयोग" से कोई लापरवाही या जानबूझ कर किया गया कृत्य, जो उपभोक्ता द्वारा पाईप लाईन में दिया गया रिसाव या संदूषित किया गया जल या जलभण्डारण टैंक के ओसर पतो (ढुलकना) या प्राधिकृत प्रयोग के अलावा जल प्रयोग करना, जैसे कि निर्माण कार्य में अन्तर्वलित जल का प्रयोग या सिंचाई या अन्य उपयोग करने वालों के लिए असुविधा पैदा करना या लाईन पर पम्प लगाना और कोई अन्य सदृश कारण जो अन्य उपभोक्ताओं के लिए जल के प्रदाय में कमी पैदा करे, अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

3. नियम 7 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 7 में उप-नियम (vii) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(viii) नियम 4 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि कोई निजी पानी का कुनैक्शन काट दिया जाता है तो उपभोक्ता से लिखित परिवचन के बाद कि यह भविष्य में जल का दुरुपयोग/दुरुप्रयोग नहीं करेगा अधिशासी अभियन्ता द्वारा तीन दिनों के भीतर पुनः स्थापित किया जाएगा और कि वह पुनः कुनैक्शन के लिए सुसंगत शीर्ष के अधीन सरकारी कोषागार में प्रथम भंग के लिए 200/- रुपये और पश्चातवर्ती भंग के लिए 500/- रुपये की दर पर प्रभार जमा करवाएगा।"

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative english text of this Department Notification No. PBW(PH)A*(3)1-1/2000, *dated* 29-7-2000 *as required under sub-clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 29*th July*, 2000

No. PBW(PH)A (3)1-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Himachal Pradesh Water Supply Act, 1968 (Act No. 8 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Water Supply Rules, 1989, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 14th February, 1990 *vide* notification No. IPH(3)-14/84, dated 30th December, 1989, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Water Supply (Amendment) Rules, 2000.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Rule-4.*— In Rule-4 of the Himachal Pradesh Water Supply Rules, 1989 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in sub-rule (7),—

(*a*) for the words " the authorised officer not below the rank of Executive Engineer with due notice", the words "Junior Engineer of Irrigation & Public Health Department of the State of Himachal Pradesh for the area within his jurisdiction", shall be substituted; and

(*b*) at the end, the following explanation shall be inserted, namely:—

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the expression "misuse" shall mean any negligence or wilful act, such as leakage in pipe line laid by the consumer or water is being contaminated or wasted due to overflow from storage tanks or used for the purpose other than authorised use. such as, construction involving use of water or irrigation or action causing inconvenience to other users or installation of on line pump and any other similar reasons which may cause deficiency in water supply for other consumers".

3. *Amendment of Rule* 7.—In rule 7 of the said rules, after sub-rule (*vii*), the following shall be added, namely:—

"(*viii*) if any, private water connection is disconnected by the authorised officer under rule 4, the same shall be restored within three days by the Executive Engineer after obtaining written under taking from the consumer that he will not misuse/misutilise the water in future and that he has deposited the reconnection charges at the rate of Rs. 200/- for first breach and Rs. 500/- for subsequent breaches, in Government Treasury under the relevant head".

By order,

Sd/-
F. C.-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित